




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक


रुक्म देवी

बनाम तिलक कार्जी कौर

९.०

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....121...../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>सोनाहातु</u> के अप्राथमिकी सं०-14/17 दिनांक-23/08/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>द्वय का घानी गिराने के संबंध में उभय पक्ष में विवाद है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>22/9/17</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="279 1556 614 1780"> <p></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> <div data-bbox="893 1534 1220 1780"> <p></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> </div> </div>	<p>J.P</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक 13-10-17 को रखें।</p> <p></p>

22-09-17

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	
09-03-18	<p>पीठासीन पदाधिकारी नगर पंचायत निर्वाचन प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु रॉंची में दिनांक - 16/03/18 को रखे।</p>	
16-03-18	<p><del>पीठासीन पदाधिकारी</del> नगर पंचायत चुनाव कार्य में व्यक्त। दिनांक 26-03-18 को रखें।</p>	
26-03-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पल उपस्थित द्वितीय पल क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता बाजरी। उक्त वाद में 6 (छ) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।</p>	
	<p> 26/3/18</p>	